FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

....बनाम ....

किस्म मुकदमा – पत्थरगढ़ी नं. .... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
16.3.2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कमलेश गोगी, प्रीति [illegible] ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा [illegible] खेड़ी पटवार मण्डल आलोद .... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 185 रकबा 3.1500 है. आ.न. 186 रकबा 3.0200 है रकबा 6.17 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को रू. 1000/– अक्षरे एक हजार .... रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा [illegible] खेड़ी .... पटवार मण्डल आलोद .... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 185 रकबा 3.1500 है व आराजी नम्बर 186 रकबा 3.0200 है .... रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्कमल तौर पर की जावें। उक्त आदेश [illegible] डूंगला को [illegible] दिनांक 27.4.2021 जारी हो। पत्थरगढ़ी पालना प्र[illegible] रिपोर्ट प्राप्त तक न्यायालय [illegible] में प्रस्तुत करे [illegible] हो। [illegible] फैसल सुमार होने पर संलग्न पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Purshotam Meena
Date: 2021.03.23 12:05:38 IST
Reason: SelfAttested